


पार्श्वनाथ डवलपर्स लि0  
सहारनपुर।

आपके संशोधित तलपट मानचित्र संख्या 388/2008-09 दिनांक के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित टाउनशिप जो मौहल्ला/कालौनी ग्राम-मंवीकलां के खसरा संख्या-227/2, 227/3, 227/3मि0, 228/3मि0, 230मि0, 232, 234, 236/1मि0 व ग्राम छिदबना के खसरा संख्या-568मि0 व ग्राम मंवीकलां के खसरा संख्या 52, 53, 56/1मि0, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 61/1मि0, 62, 82/1, 62/2, 65, 66, 69, 103मि0 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से दिनांक 02.08.2014 तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी स्थान के स्वरूप अथवा स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. इस स्वीकृति में प्रार्थी द्वारा यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो तो उसके प्रकाश में आने पर यह मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
4. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय है।
5. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
6. स्वीकृत मानचित्र की प्रतिलिपि निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि यौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रानुसार कराया जायेगा।
7. आप निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेंगे।
9. प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन का अध्यासित (ओक्यूपायी) करेंगे।
10. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार 300 वर्गमीटर एवं अधिक के भवन पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
11. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भवन पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र भी स्थापित करना होगा।
12. भवन के ऊपर अथवा प्रांगण में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं कराया जायेगा।
13. निर्माणकर्ता द्वारा भवन के बाहर एक पट्टिका लगाकर मानचित्र स्वीकृति का विवरण प्रदर्शित किया जायेगा।
14. निर्माण कार्य कराने वाले आर्किटेक्ट/सिविल अभियन्ता/ठेकेदार का नाम-पता व मोबाईल नम्बर विकास प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।
15. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
16. प्रस्तुत अनापत्तियों प्रमाण पत्र भूगर्भ जल विभाग खण्ड, सहारनपुर, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, तहसीलदार सहारनपुर, विद्युत विभाग सहारनपुर के अनुसार प्रतिबन्धों का पक्ष को अनुपालन करना होगा।
17. स्वीकृत डी0पी0आर0 के समस्त प्रतिबन्धों/प्राविधानों का अनुपालन विकासकर्ता को करना होगा।
18. विकासकर्ता को विकास की अनुज्ञा केवल विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (293487.60 वर्गमी0) पर दी जाती है।
19. 30.00 मी0 महायोजना मार्ग की स्थिति के सम्बन्ध में रेलवे/तहसीलदार से अनापत्ति प्रमाण पत्र एक माह में प्रस्तुत करनी होगी। जब तक 30.00 मी0 महायोजना मार्ग से लगी भूमि का विक्रय विकासकर्ता द्वारा नहीं किया जायेगा।

20. समस्त विकांस कार्य स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुरूप कराने होंगे।
21. पी0डब्लू0डी0 विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एक माह में प्रस्तुत करना होगा।
22. सिंचाई विभाग से चुनहेटी गाड़ा के रजवाहा में योजना के पानी के डिस्पोजल आदि के सम्बन्ध में एक माह में अनापत्ति प्रमाण पत्र पक्ष को प्रस्तुत करना होगा।
23. विकास कार्य भवन उपविधि 2008 में प्राविधानित सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन पक्ष को सुनिश्चित करना होगा।
24. उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार 33 प्रतिशत भाग ग्रीन करना होगा जिसे पूरा करने हेतु सड़को पर सघन वृषारोपण इसके अतिरिक्त पार्को/भवनों में वृक्ष लगाना सुनिश्चित करना होगा।
25. प्रस्तुत तलपट मानचित्र में दर्शित किसी रास्ते, गूल, नाली आदि पर कोई विवाद आता है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं विकासकर्ता की होगी।
26. ई0डब्लू0एस0, एल0आई0जी0 भूखण्डों का विकास तीन माह के अन्दर पूर्ण करना होगा तथा प्राधिकरण से मूल्य निर्धारित कराकर शासन की नीती के अनुसार विक्रय किया जायेगा।
27. विकासकर्ता पूर्व आवंटित 48 प्रभावित भूखण्डों के भूस्वामियों से सहमति पत्र प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृति की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे।
28. लेआउट में प्रस्तावित व्यवसायिक भूखण्डों के सैटबैक, कवरेज, एफ0ए0आर0 आदि तत्समय मानचित्र स्वीकृति के समय लागू भवन उपविधि के प्राविधानों के आधार पर ही मानचित्र स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
29. 12 मी0 रोड पर स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 सी-26 से सी-36 तक के भूखण्डों का फ्रन्टेज व्यवसायिक भूखण्डों की ओर ही रहेगा। इन भूखण्डों का कोई भाग आवासीय भूखण्डों की ओर नहीं खुलेगा।
30. बन्धक रखी गई भूमि पर विकासकर्ता को विकास कार्य करने का अधिकार होगा, परन्तु विक्रय का अधिकार नहीं होगा। विकासकर्ता द्वारा विशिष्टियों के अनुरूप जैसे-जैसे विकास कार्य पूर्ण किए जाएंगे, उसी अनुपात में बन्धक रखी भूमि विकासकर्ता के पक्ष में अवमुक्त की जाएगी। विकास कार्य पूर्ण होने का तात्पर्य योजनान्तर्गत प्रस्तावित सड़कें, जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज तथा विद्युत-आपूर्ति के कार्यशील होने से है।

संलग्नक : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

  
 उपाध्यक्ष  
 सहारनपुर विकास प्राधिकरण  
 सहारनपुर।